



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.07.24 को 01 वारंटी अभियुक्त **चेतन पुत्र लीलूराम निवासी ग्राम कनलासी मेहर माजरा थाना बुडिया जनपद यमुनानगर (हरियाणा) सम्बन्धित वाद संख्या 127/21 धारा 498A, 313, 504, 506, 323 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** को गिरफ्तार किया गया जिसका वारण्ट मा० न्यायालय सिविल जज (जू०डी) जे०एम० देवबन्द द्वारा निर्गत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चेतन पुत्र लीलूराम निवासी ग्राम कनलासी मेहर माजरा थाना बुडिया जनपद यमुनानगर (हरियाणा)

गिरफ्तार वारण्टी का आपराधिक इतिहास:-

1-मु०अ०सं० 308/20 धारा 313/323/498ए/504/506 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ०नि० भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. कां० 547 अंकुश तोमर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. म०कां० 775 आकांक्षा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 17.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर महोदय द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में दिनांक 10.07.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा **NBW वारण्टी जितेन्द्र उर्फ पिकू पुत्र शीशपाल नि० चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र 38 वर्ष सम्बन्धित एसटी नं० 968/22 धारा 147/427/452/323/504/506 भादवि थाना गागलहेडी** के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । वारण्टी को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जितेन्द्र उर्फ पिकू पुत्र शीशपाल नि० चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उनि० श्री विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी, स०पुरा
2. है०का० 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, स०पुरा
3. है०का० 953 हरेन्द्र सिंह, थाना जनकपुरी, स०पुरा



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शराब तरकर गिरफ्तार, कब्जे से 36 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का एवं 02 मोटरसाइकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों एवं अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा दिनांक 16.07.2024 की रात्रि को हथनीकुण्ड बैरियर पर चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तगण:- 1.जितेन्द्र कुमार पुत्र सुलेखचन्द निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर, 2.सागर पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर, 3. ब्रज भूषण पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर एवं 4.मोहित पुत्र सतपाल निवासी निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर को 12 बोतल अंग्रेजी शराब ROYAL STAG हरियाणा मार्का व 24 बोतल अंग्रेजी शराब IMPIREAL BLUE हरियाणा मार्का एवं 02 मोटर साइकिल के गिरफ्तार किया गया । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभि० गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु०अ०सं० 106/24 धारा 60/63आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम हरियाणा राज्य से शराब लाकर अपने गांव के आसपास अधिक दामों पर लोगो को बेचकर धन अर्जित करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.जितेन्द्र कुमार पुत्र सुलेखचन्द निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- 2.सागर पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. ब्रज भूषण पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- 4.मोहित पुत्र सतपाल निवासी निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 12 बोतल अंग्रेजी शराब ROYAL STAG हरियाणा मार्का
- 24 बोतल अंग्रेजी शराब IMPIREAL BLUE हरियाणा मार्का
- 02 मोटर साइकिल (हीरो होण्डा स्पलैण्डर एवं हीरो स्पलेण्डर प्लस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० नवीन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
2. हेका० 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
3. हेका० 958 धीरेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
4. हेका० 847 धर्मेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
5. का० 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. का० 1365 मंजीत थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 17.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.07.2024 को 02 वारण्टी अभियुक्तगण- **1.वासिल पुत्र महमूद नि0 ग्राम टिडोली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद सं0 407/17 मु0अ0सं0 384/14 धारा 394/302 भादवि चालानी थाना कु0शेर सहारनपुर तथा **2.ओमवीर पुत्र यशपाल सिंह नि0 ग्राम आसरा खेडी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 220/23 मु0अ0सं0 483/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. वासिल पुत्र महमूद नि0 ग्राम टिडोली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. ओमवीर पुत्र यशपाल सिंह नि0 ग्राम आसरा खेडी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 2122 लोकेश तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.03.2024 को वादी श्री आशिक पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई के साथ धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से वार कर घायल करना व गाली गलौच कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 88/24 धारा 307/324/504 भादवि व 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम विककी उर्फ विकास पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व 02 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया । विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण गोविन्द पुत्र जसवंत निवासी ग्राम रोशनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व सौरभ पुत्र कल्लू निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त विककी उर्फ विकास ने दिनांक 09.04.2024 को मा० न्यायालय के समक्ष आत्मसर्पण कर दिया तथा अभि० गोविन्द उपरोक्त को दिनांक 17.06.2024 में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.07.24 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभि० सौरभ पुत्र कल्लू निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ सहारनपुर को ग्राम अध्याना के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि० के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर सौरभ उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 25.03.2024 को मैं अपने साथी गोविन्द पुत्र जसवंत निवासी ग्राम रोशनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर और विककी उर्फ विकास पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर के साथ मिलकर शमशान घाट के पास बैठकर नशा कर रहा था । वहां पर हमारे गांव का अक्षय पुत्र इलम सिंह मो०सा० पर आया था हमने अक्षय को रोककर बाईक मांगी थी तो अक्षय ने मो०सा० देने से मना कर दिया था । इसी बात को लेकर हमारी अक्षय से झगडा हो गया था। हम तीनों ने इसी बात को लेकर अक्षय के साथ मारपीट कर दी थी, वही पास में धारदार ईंट व पत्थर पड़े थे हम तीनों ने जान से मारने की नियत से अक्षय के सिर पर वार कर दिये थे, उसके बाद अक्षय के शौर मचाने पर उसका भतीजा प्रविन्द्र भी आ गया था जिसको देखकर हम लोग वहां से भाग गये थे । ईंट व पत्थर हम लोगो ने पास के ही खेत में फेंक दिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सौरभ पुत्र कल्लू निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. उ०नि० श्री वेदपाल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
3. है०का० 1074 कालूराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा लाखनौर हाईवे पर छात्रों के दो गुटों द्वारा आपस में फायरिंग करने के प्रकरण में 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 09 जिन्दा / 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 स्विफ्ट डिजायर कार व 03 मोटरसाइकिल बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा लाखनौर हाईवे पर दो गुटों में से आपस में फायरिंग करने वाले तीन अभियुक्तगण 1. हिमांशु पुत्र प्रमोद निवासी देहरादून रोड शिव मन्दिर के पास कस्बा व थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर 2. यश तोमर पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जिला शामली 3. समर पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम सढोली हरिया थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण कब्जे से हिमांशू व यश के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 09 जिन्दा / 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 स्विफ्ट डिजायर कार रजिस्ट्रेशन न0 (UP14 CD 3051) व 01 स्पलैण्डर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन न0 UP 11 CF 0886 बरामद हुई। दो अन्य मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नं0 UK 17 L 4396 व UP 11 AU 2149) दूसरे गुट द्वारा मौके पर छोड़कर फरार हो गए। फरार अभियुक्तगण की तलाश की जा रही है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना नांगल पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 191(3) / 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम तीनों आपस में दोस्त हैं। हमारा कॉलेज में पढने वाले अन्य लडको से किसी बात को लेकर झगडा हो गया था। इसी झगडे का बदला लेने के लिये हम तीनों लाखनौर हाईवे पर गये थे जहाँ हम तीनों व कॉलेज के अन्य छात्रों के बीच एक दूसरे के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.हिमांशु पुत्र प्रमोद निवासी देहरादून रोड शिव मन्दिर के पास कस्बा व थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. यश तोमर पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जिला शामली।
3. समर पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम सढोली हरिया थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त समर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 186/24 धारा 191(3)/ 109/3(5) बीएनएस 3/25/ 27 ए एक्ट थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 470/19 धारा 147/148/149/323/427/452/504 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 471/19 धारा धारा 147/148/149/323/427/452/504 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

बरामदगी-

- 02 तमंचे 315 बोर
- 09 जिन्दा / 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 स्विफ्ट डिजायर कार (रजिस्ट्रेशन नं0 UP14CD 3051)(घटना में प्रयुक्त)
- 03 मोटर साईकिल (घटना में प्रयुक्त) (रजिस्ट्रेशन नं0 क्रमशः UP11CF0886, UK17L4396 व UP11AU-2149)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 आशीष चौधरी थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
6. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
7. है0का0 1130 अनिल कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
8. है0का0 380 आजाद थाना नांगल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 02 वांछित अभियुक्तगण
को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार धारा 156(3) सीआरपीसी के अन्तर्गत दिनांक 25.06.2024 को वादिया श्रीमति केला पत्नी स्व0 राजपाल सिंह निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर के प्रार्थना पत्र बाबत वादिया के पति राजपाल को गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुये, लाठी डण्डो से जानलेवा हमला कर देना जिससे वादिया के पति राजपाल की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0स0 99/24 धारा 302/504/506 भादवि बनाम अभियुक्तगण 1. विवेक कुमार उर्फ रोकी पुत्र स्व0 विनोद निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर 2. श्रीमती राजवती पत्नी स्व0 विनोद निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.07.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के 02 वांछित अभियुक्तगण 1. विवेक कुमार उर्फ रोकी पुत्र स्व0 विनोद निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर 2. श्रीमती राजवती पत्नी स्व0 विनोद निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर को सुन्दरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हमारा व हमारे दूर के रिश्तेदार राजपाल सिंह (मृतक) के साथ खेती की जमीन को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। दिनांक 23.09.2022 को हमारा व राजपाल सिंह का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें हमारे द्वारा राजपाल को लाठी व डण्डो से पीटा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. विवेक कुमार उर्फ रोकी पुत्र स्व0 विनोद निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. श्रीमती राजवती उर्फ रोजा पत्नी स्व0 विनोद निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री ब्रजपाल सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री विनित चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. म0है0का0 62 हिमानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. का0 61 गौतम थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. का0 2399 अजय कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. का0 2523 गौरव कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 17.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 जिला बंदर अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जिलाबंदर अभियुक्तगण की चैकिंग हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.07.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा जिला बंदर अभियुक्त अमजद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम फतेहपुर भादों थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर जो चैकिंग के दौरान अपने घर पर निवास करता हुआ पाया गया, को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अमजद पुत्र खुर्शीद उपरोक्त को मा० न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 17.03.2024 से 06 माह के लिये जिला बंदर किया गया था। गिरफ्तारी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 142/24 धारा 10 यू०पी० गुण्डा अधि० बनाम अमजद पुत्र खुर्शीद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमजद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम फतेहपुर भादों थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 467/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 468/21 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 142/24 धारा 10 यू०पी० गुण्डा अधि० थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है०का० 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है०का० 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 17.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा,सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टें में 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान 01 बैटरा व 01 सिलेण्डर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.07.2024 को वादी श्री सोनू कुमार पुत्र गिरवर सिंह निवासी गाँव झबीरण, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सागर पुत्र उदयवीर पता नामालूम व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से ट्रैक्टर का बैटरा (EXIDE), गैस सिलेण्डर (इंडेन) आदि चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 183/24 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर चोरी की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गए सामान की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.7.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त सागर पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गए 01 बैटरा व 01 गैस सिलेण्डर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 14.07.2024 की रात्रि को मैंने व मेरे एक अन्य साथी आसिफ पुत्र ने हमारे ही गाँव के सोनू पुत्र गिरवर के घर से 01 बैटरा (अमरोन कम्पनी का), 01 घरेलू सिलेण्डर (इण्डेन कम्पनी का), 01 मोबाइल फोन तथा कुछ सफेद धातू का सामान चोरी किया था। जिसमें से बैटरा तथा सिलेण्डर को आज कहीं बेचने जा रहा था तभी पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। मोबाइल फोन व सफेद धातू का कुछ सामान आसिफ के पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त सागर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 80/2022 धारा 379/411 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 81/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 415/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 183/2024 धारा 305(A),317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 17.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का मात्र 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 3450/- रुपये बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.07.2024 को वादी श्री मौहम्मद इलियास पुत्र जहीर अहमद निवासी ग्राम बरथा कायस्थ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ने अज्ञात चोर द्वारा वादी के क्लीनिक मे घुसकर अन्दर रखे गल्ले मे रखे 3450/- रुपये और रेजगारी व सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर अ0स0-171/2024 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 17.07.2024 को अभियुक्त अमजद पुत्र अनवर नि0 ग्राम बरथाकायस्थ थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित अ0स0- 171/2024 धारा 305(ए) बीएनएस को धौलाहेडी पुल के पास से मय चोरी किये गये 3450/- रुपये व 01 ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गिरफ्तार किया गया । चोरी का माल बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त अमजद उपरोक्त ने बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ ओर नशीले पदार्थ खरीदने के लिए चोरी करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त अमजद पुत्र अनवर नि0 ग्राम बरथाकायस्थ थाना चिलाकना सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

अ0स0 171/2024 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर ।

बरमादगी का विवरण:-

गल्ले मे रखे 3450/- रुपये व ड्राइविंग लाईसेंस नंबर एम21293/एसआरई/0, दिनांक 5/10/2001

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उप निरी0 आकाश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. है0का0 479 अमित कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।